कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित **श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

प्रार्थी **सर्वश्री अंकित गोयल पुत्र श्री लक्ष्मी नरायन गोयल, एन-49, प्रथम तल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।.**

प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक **046 / 13, 03.10.2013**

प्रार्थी की ओर से **कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री अंकित गोयल पुत्र श्री लक्ष्मी नरायन गोयल, एन-49, प्रथम तल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.10.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

What is the rate of tax under U.P. VAT Act on Liquefied Natural Gas (LNG) and Re-gasified Liquefied Natural Gas (RLNG) ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को अन्तिम नोटिस दिनांक 30.10.2013 के लिए भेजी गयी तथा प्रार्थना पर सुनवाई की तिथि 27.11.2013 के लिए स्थगित किया गया। किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी दिल्ली राज्य के हैं तथा पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर नहीं हैं। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत ‘‘ person or dealer concerned ’’ in U.P.VAT Act ही प्रश्न पूछ सकता है। प्रार्थी ‘‘ person or dealer concerned ’’ नहीं हैं। अत: उनके द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा पूछी गयी वस्तु Liquefied Natural Gas तथा Re-gasified Liquefied Natural Gas पर कर की दर के सम्बन्ध में सर्वश्री तरंग अरोरा पुत्र श्री रमेश अरोरा, 13, रघुकुल विहार, ट्रान्सपोर्ट नगर, मेरठ के मामले में प्रार्थना-पत्र संख्या-52 / 13 पर कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 30.01.2014 को निर्णय देते हुए कर की दर स्पष्ट की जा चुकी है।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी दिल्ली राज्य के हैं। वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर नहीं हैं। अत: ‘‘ person or dealer concerned ’’ in U.P.VAT Act न होने के कारण उनके द्वारा दिया गया धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

5. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 12 मार्च, 2014

ह0 / 12.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।